संख्याः 21/I/2005-06(1)/23/03

प्रेषक,

डा0एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादून: दिनांकः 12 जनवरी, 2005

विषयः— ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 853/I/2004-06(1)/23/03, दिनांक 28 दिसम्बर, 2004 द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष रू0 4,53,07,100/– (रू0 चार करोड़ तिरपन लाख सात हजार एक सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

उक्त शासनादेश दिनांक 28.12.2004 में लेखाशीर्षक के पैरा 17- के स्थान पर अब निम्नवत पैरा पढ़े जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

17–"स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य उपक्रमों में निवेश–आयोजनागत–00–04–उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 से ऋण–(0104 से स्थानान्तरित)–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा"।

उक्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2293/क/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

...2

<u>संख्याः 201/1/2005-06(1)/23/03,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4– जिलाधिकारी, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
7– सचिव, नियोजन विभाग।
8– वित्त अनुभाग–3
9– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एन0सी0 जोशी)
अपर सचिव